न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 429/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. जुगताराम पुत्र मानाराम विश्नोई 2. गोपुराम पुत्र मानाराम विश्नोई (निवासी ग्राम लोहावट विशनावास, तह0 लोहावट, जिला जोधपुर)		1. सत्यनारायण पुत्र जगमालराम विश्नोई ग्राम लोहावट विशनांवास, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर **प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट –** 2. महीराम पुत्र धोकलराम 3. सोहनराम पुत्र उदाराम 4. भंवरलाल पुत्र धूड़ाराम सभी जाति विश्नोई, ग्राम लोहावट विशनावास, तह0 लोहावट (जोधपुर) 5. प्रकाश पुत्र केशरीचन्द सुथार 6. महेश पुत्र गुलाबचन्द जैन निवासी ग्राम लोहावट विशनावास, तह0 लोहावट, जिला जोधपुर 7. ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास जरिये सरपंच, तह0 लोहावट, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर फलौदी, राजस्व अपील सं0 61/2014 दिनांक 22.08.2016

उपस्थित–
1. श्री पूनाराम विश्नोई वकील अपीलांट
2. श्री रोशनलाल विश्नोई वकील रेस्पो0 सं0 1
3. श्री गुलाबसिंह चम्पावत वकील रेस्पो0सं0 2 से 6
4. रेस्पो0सं0 7 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 20.11.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि पूर्व में रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी–सत्यनारायण द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलौदी के समक्ष ग्राम लोहावट विश्नावास के ख0नं0 163 रकबा 21.16 बीघा भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0 36/2007 में पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

25.9.07 पारित किया गया। जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलांट्स के पिता मानाराम द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील सं0 63/2011 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2012 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार फलौदी को दोनो पक्षकारान को सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए, अपीलांट की पट्टाशुदा भूमि को छोड़ते हुए, सीमाज्ञान करवाने के पश्चात नये सिरे से पत्थरगढी करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिसकी पालना में हाल–तहसीलदार लोहावट द्वारा दर्ज प्रार्थना पत्र सं0 36/2007 में पारित निर्णय दिनांक 22.9.14 द्वारा रेस्पो0–सत्यनारायण के ख0नं0 163 वाके रोही लोहावट बीबी व ख0नं0 164 गै0मु0 आबादी जिसमें महीराम वगैरा के मकानात व प्लॉट है, की पैमाईश टीम गठित कर पक्षकारों को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में पैमाईश की जाकर, सत्यनारायण के खेत ख0नं0 163 की पत्थरगढी कराई जाने तथा इसकी पालना में कार्यालय आदेश कमांक 2334 दिनांक 26.9.14 द्वारा दल गठित किया गया। इसके विरूद्ध रेस्पो0सं0 1–सत्यनारायण द्वारा अपर जिला कलेक्टर फलौदी के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अपील सं0 61/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.8.16 द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.9.14 व उसकी पालना में आदेश दिनांक 26.9.14 को निरस्त कर दिये गये। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आरएलआर की धारा 76 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते अपीलांट्स के पिता–मानाराम का देहांत हो गया था। जिसमें मानाराम के कायम मुकाम को पक्षकार बनाये बिना व अपीलांट्स को बिना कोई सूचना दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये जाने से कानूनी एवं वाक्याती भूल हुई है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0सं0 1 की अपील को मनमाने ढंग से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की गई है। क्योंकि ख0नं0 163 व 164 की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पैमाईश एवं पत्थगढी में विवाद होने के कारण तहसीलदार लोहावट द्वारा अपीलार्थी के पिता के प्रार्थना पत्र पर उक्त खसरों की पुनः पैमाईश कर, पत्थरगढी का जो आदेश पारित किया गया, वह पूर्णतः विधिसम्मत था। स्वयं रेस्पो0सं0 1 उक्त खसरों की पैमाईश एवं पत्थरगढी करने हेतु पूर्व में मा0 संभागीय आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत अपील में सहमत थ, तो फिर तहसीलदार लोहावट के आदेश निरस्त करवाने का कोई आधार नही था। अपीलार्थी ख0नं0 164 में आबादी भूमि में अपने पट्टा सुदा भूखण्ड पर वर्षो से काबिज है तथा मौके पर संपूर्ण निर्माण करवाया हुआ है। रेस्पो0सं0 1 ख0नं0 163 की आड़ में आबादी भूमि के ख0नं0 164 में गैर कानूनी रूप से प्रवेश कर कब्जा करने की कुचेष्टा करना चाहता है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि रेस्पो0 सं0 1 की खातेदारी भूमि ख0नं0 163 और राजकीय भूमि ख0नं0 164 के बीच सीमा का विवाद होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय की पालना में दिनांक 25.6.12 को पैमाईश दल द्वारा पैमाईश की गई। जिसके पूर्व में भू–प्रबंध विभाग व राजस्व टीम द्वारा भी उक्त भूमि की पैमाईश की गई। मूल ख0नं0 163 की पूर्व में पांच बार पैमाईश होकर ख0नं0 163 व 164 के बीच दिनांक 22.1.24 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के ख0नं0 190/2952 गै0मु0 रास्ते की पैमाईश कर चिन्हिकरण किया गया है, उक्त पैमाईश में भी ख0नं0 163 व 164 की पैमाईश की जा चुकी है। अपीलार्थी यदि अपीलाधीन आदेश से सहमत नही है, तो उसे अपना पक्ष रखने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने में सहमती व्यक्त की गई।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के विचाराधीन रहते अपीलांट्स के पिता–मानाराम का देहांत हो गया था, जिसमें मानाराम के कायम मुकाम को पक्षकार बनाये बिना व अपीलांट्स को बिना कोई सूचना दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जिसमें कानूनी एवं वाक्याती भूल हुई है। अपीलांट्स का कथन है कि इस कारण उसे सुनवाई/अपना पक्ष रखने का अवसर नही मिला। जिस पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने में सहमती व्यक्त की गई है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय–अपर जिला कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व अपील सं0 61/2014 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.08.2016 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण मूल रूप से अधीनस्थ न्यायालय हाल–उपखण्ड अधिकारी लोहावट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, अपीलाधीन ख0नं0 163 की पत्थरगढी हेतु पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

20.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर